प्रेषक,

उमेश चन्द्र पाण्डे–II
विशेष न्यायाधीश(ई 0 सी0 एक्ट),
बाराबंकी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषयः माननीय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा वर्ष 2022–23 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर 1–(जी) में की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

अति विनम्र निवेदन है कि मेरे वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2022–2023 में माननीय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी महोदय द्वारा प्रस्तर–1(जी) में उल्लेख किया गया है कि "No shart fall of Units" तथा "Presiding Officer has achieved the target of Action Plan cases."

एनेक्जर नं0 1(डी) में 18 रेगुलर दीवानी अपील के पेन्डिंग रहते हुए कुल 01 रेगुलर दीवानी अपील का निस्तारण एवं एनेक्जर नं0 1(बी) के अनुसार 07 क्रिमनल अपील के न्यायालय में लम्बित रहने के बावजूद कोई अपील निस्तारित नहीं किये जाने की आख्या दी गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी का अभिकथन निम्नवत हैः–

(1) दिनांक 06.07.2022 को विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायालय में गैर जनपद से स्थानान्तरण के उपरान्त प्रार्थी ने कार्यभार ग्रहण किया था।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 'एक्शन प्लान' के समस्त मामले प्रार्थी द्वारा निस्तारित कर दिये गए तथा निर्धारित यूनिट कोटा का लक्ष्य भी पूरा किया गया।

(3) न्यायालय का सम्पूर्ण ध्यान सबसे पुराने मामलों के निस्तारण पर रहा और अपेक्षित निस्तारण किया गया है।

(4) सम्पूर्ण जजशिप के सत्र विचारण के चार सबसे पुराने मामले वर्ष 1994 के निस्तारित किये गये जिनमें कई अभियुक्तों से संबंधित अधिवक्तागण द्वारा महीनों लम्बी बहस की गयी थी।

(5) कोई आपराधिक अपील वर्ष 2022 के पूर्व की लम्बित नही थी।

(6) वर्ष 2009 के पूर्व की कोई सत्र परीक्षण पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन नही रह गई।

(7) संलग्नक 1(बी) के अनुसार मात्र 17 दीवानी अपीलें लंबित थीं जिसमें से दीवानी की कुछ अपीलों को छोड़कर सभी वर्ष 2021–22 की हैं। न्यायालय में लम्बित सबसे पुरानी अपील संख्या 118/2009 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित है तथा दूसरी दीवानी अपील संख्या 900026/2009 सुमनदेवी बनाम रामलखन मेरे न्यायालय में दिनांक 01.12.2022 को स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त हुई जो आवश्यक अभिलेख के अभाव में निर्णीत नहीं की सकती थी। दीवानी अपील संख्या 17/2011 शिव नारायन बनाम रामप्रकाश तथा दीवानी अपील संख्या 05/2010 मो0 शकील बनाम जमील अहमद के पक्षकार की मृत्यु के कारण कायम मुकामी प्रार्थनापत्र लंबित होने के कारण निस्तारण सम्भव नहीं था। दीवानी अपील संख्या 34/2018 हामिद अली बनाम शाबान दिनांक 05.04.2023, दीवानी अपील सं0 29/2016 गोविन्द बनाम केवलापति दिनांक 18.04.2023 को तथा दीवानी अपील सं0 63/2018 कैलाश बनाम संतोष दिनांक 14.07.2023 को निस्तारित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त समस्त अपीलें वर्ष 2021–22 की हैं जो अन्य न्यायालयों से वर्ष के आखिरी महीनों में स्थानान्तरण के उपरान्त प्राप्त हुई हैं।

आपराधिक अपीलों में से एक सबसे पुरानी आपराधिक अपील संख्या 25/2015 जावेद बनाम राज्य की मूल पत्रावली गायब होने के कारण पुनगर्ठन हो रहा है जिसके कारण निस्तारण नहीं किया जा सकता था। शेष आपराधिक अपीलें वर्ष 2022 की हैं। मूल पत्रावली तलब हैं।

इस प्रकार मेरे द्वारा विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायालय में कार्यरत रहते हुए ''एक्शन प्लान'' व ''पुराने वादों'' के निस्तारण पर केन्द्रित रखकर समस्त एक्शन प्लान के पत्रावलियों का निस्तारण करते हुए निधारित ''वर्क डन के लक्ष्य से भी अधिक'' कार्य किया गया है। दीवानी व क्रिमनल अपीलों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गयी।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कालम–1(जी) में दीवानी अपीलों व आपराधिक अपीलों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी को निरस्त करने और ओवरआल असिस्मेंट को उच्चीकृत किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा करें।

सादर!

दिनांक 26.07.2023

भवदीय,

Umesh Chandra Pande

(उमेश चन्द्र पाण्डे–II) 26.7.2023

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)

बाराबंकी।

JO Code UP06066